म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.तक./03–पार्ट–2/18–19/1268 भोपाल,दिनांक–20/11/18

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– .... (समस्त) (म.प्र.)

विषयः– मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 अंतर्गत सहायता राशि स्वीकृति के संबंध में।

–0000–

प्रायः देखने में आया है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान हार्टअटेक से मृत्यु होने पर कलेक्टरों द्वारा सहायता राशि रूपये 4.00 लाख स्वीकृत की जा रही है एवं कई कलेक्टरों द्वारा कृषक हार्टअटेक से मृत्यु होने पर सहायता राशि स्वीकृति के संबंध में मण्डी बोर्ड से मार्गदर्शन मांगा जाता है।

उक्त के संबंध में स्पष्ट है कि मण्डी बोर्ड भोपाल का कार्यालयीन पत्र क./बी–6/नियमन/विविध/3678 दिनांक 27.09.2008 योजना के कंडिका 02 के बिन्दु क्रमांक 01 से 09 में हार्टअटेक से कृषि कार्य के दौरान कृषक की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त दावों के भुगतान की स्वीकृति एवं क्षतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बोर्ड/यो./गैर.तक./01–पार्ट/2017–18/758–759 दिनांक 31.03.2018 द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त दावों के भुगतान की स्वीकृति एवं क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रदत्त किये गये थे।

परन्तु उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर मण्डी बोर्ड भोपाल के कार्यालयीन आदेश क./बोर्ड/यो./गैर.तक./01–पार्ट/2018–19/979 दि. 28.06.2018 द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु राशि स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार पूर्वानुसार संबंधित जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्र./बोर्ड/यो./गै.तक./03–पार्ट–2/18–19/1269 भोपाल,दिनांक–20/11/18

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त) म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति...........................(समस्त)जिला................. (म0प्र0)।

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.